

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा महिला सशक्तिकरण: एक अध्ययन

डॉ. राजेन्द्र सिंह खीची*

सार

शोध पत्र में भारतीय महिलाओं के जीवन में शिक्षा की उपयोगिता को दर्शाया गया है। प्राचीन समय में शिक्षा पद्धतियों एवं नियमों को दर्शाते हुए भारतीय महिला जीवन के शिक्षा क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का वर्णन किया गया है। विभिन्न आयोगों का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 व नवीन शिक्षा नीति 1986 को भी दर्शाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का वर्णन करते हुए इसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों एवं उनकी उपयोगिता को दर्शाया गया है। शोध पत्र के अन्त में निष्कर्ष के पश्चात् कुछ सुझाव दिए गए हैं।

शब्दकोश: लिंग-समावेश, ग्रामीण अंचल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, छात्रावास।

प्रस्तावना

भारतीय महिला जीवन में यदि शिक्षा की बात की जाए तो हम पाएंगे की इसमें कभी भी निरंतरता नहीं रही। किसी समय काल में भारतीय महिलाएँ पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त एवं शिक्षित रहीं तो अन्य युगों में उसे योजनाबद्ध तरीकों से शिक्षा से वंचित रखते हुए घर की चार दिवारी में सीमित कर दिया गया।

सम्मान, भूमिका-प्रधान, अधिकारों एवं शिक्षा की दृष्टि से वैदिक काल भारतीय महिलाओं का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। तत्कालिन साहित्य में पर्दा-प्रथा, लिंग-भेद, शिक्षा से दूरी अथवा घर तक सीमित भूमिका का उल्लेख नहीं मिलता (मिश्र ; 2006 : 433)। महाभारत में कहीं भी परदे का कुप्रथा के रूप में उल्लेख नहीं मिलता (वहीं ; 434)।

शिक्षा जागरूकता उत्पन्न करती है और जागरूकता अधिकारों से अवगत करवाती है। ज्ञान एवं बुद्धि व्यक्ति को चौकन्ना एवं जागरूक बनाती है (यादव ; 2021 : 62)। शिक्षित मनुष्य अपने आचरण से यह आभास करवाता है कि वह ब्रह्मांड के शेष जीवों में तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है। शिक्षा मानव के बौद्धिक विकास के साथ उसे हर समस्या अथवा विकट स्थिति का सामना एवं उसका हल निकालने को सक्षम बनाती है। जे. कृष्णमूर्ति अपनी पुस्तक "शिक्षा क्या है" में लिखते हैं कि सम्यक शिक्षा वही है जो विद्यार्थी को इस जीवन का सामना करने में सहायता करे। ताकि वह जीवन को समझे उससे हार न माने, उसके बोझ तले दब न जाए। जैसा कि हममें से अधिकांशों के साथ होता है (कृष्णमूर्ति ; 2020 : 09)। सर्वभौमिक उच्चतर शिक्षा वह उचित माध्यम है जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, <https://www-education.gov.in> : 03)।

डॉ. जयशंकर मिश्र ने अपनी पुस्तक "प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास" में प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का विस्तार से उल्लेख किया है (मिश्र ; 2006 : 497-500)। डॉ. जयशंकर के अनुसार शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता था। जिसमें आचार्य ब्रह्मचारी को नए जीवन में दीक्षित करता था। इसके बाद वह अपना घर त्याग कर गुरु के सानिध्य में जाता था तथा वहीं रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था। वैदिक युग में आचार्य का स्थान आदरपूर्ण, गरिमामय एवं प्रतिष्ठित होता था। आचार्य अपने शिष्य को आचार एवं चरित्र की शिक्षा देते थे। उस समय गुरुओं की उपाध्याय, प्रवक्ता, अध्यापक एवं क्षेत्रीय जैसी श्रेणियां हुआ करती थी। डॉ. जयशंकर यह भी

* सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

लिखते हैं कि उस समय के आचार्य वेदों एवं शास्त्रों के ज्ञाता होते थे व वाक्चातुर्य, भाषण-पटुता, तार्किकता एवं रोचक कथाओं में दक्ष और ग्रंथों का अर्थ करने में वे आशु पंडित और वक्ता होते थे। समय-दर-समय हमारी शिक्षा व्यवस्था एवं नीतियों में समय-समय पर परिवर्तन अथवा संशोधन होते रहे हैं।

86 वें संशोधन (2002) द्वारा संविधान के अनुच्छेद - 21 के तुरंत बाद खंड - 21 (क) को जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी किशोर-किशोरियों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा (अग्रवाल ; 2021 : 112-13)।

स्वतंत्रता पश्चात् राधाकृष्णन आयोग (1948-49), माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियार आयोग) 1953, विश्वविद्यालय आयोग (1953), कोठारी शिक्षा आयोग (1964), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) एवं नवीन शिक्षा नीति (1986) आदि के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समय - समय पर सही दिशा देने की गंभीर कोशिशें की गईं (अविनाश ; 2021 : 13)।

सन् 1952-53 में "मुदालियर कमीशन" ने 8+3+3 शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित की। 8 वर्ष की प्राथमिक, 3 वर्ष की हाईस्कूल एवं 3 वर्ष की स्नातक व्यवस्था को प्रस्तावित किया। माध्यमिक शिक्षा को समाप्त करने पर बल दिया। सन् 1960 में योजना आयोग ने 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा तथा 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा पर बल दिया। 1961 में कुलपतियों के अधिवेशन में भी तथ्य दोहराया गया। सन् 1962 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने इसी संकल्प को दोहराया एवं "कोठारी कमीशन" ने भी यही सिफारिश की और अंत में सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संपूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई (अविनाश ; 2021 : 21)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं नवीन शिक्षा नीति 1986 के पश्चात् भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को 1 जुलाई 2020 को घोषित एवं 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। शिक्षा नीति को मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाता था लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद इस मंत्रालय का नाम बदलकर "शिक्षा मंत्रालय" कर दिया गया। यह नीति उच्च शिक्षा को अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता देने के साथ ही बच्चों को कला और खेल-कूद के क्षेत्र में बढ़ावा देती है। नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment ratio - GER) को 100 प्रतिशत तक लाना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र व राज्य सरकार की मदद से जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शैक्षणिक संरचना को 5+3+3+4 में डिजाइन किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 पर आधारित था लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 के हिसाब से की गई है। इस नीति को बच्चों की 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 उम्र के अनुसार चार अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है (<https://kisansuchna.com>)।

5 + 3 + 3 + 4 System Stage

5-फाउंडेशन स्टेज (Foundation Stage)

फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनवाड़ी से प्री-स्कूलिंग शिक्षा लेनी होगी। इसके बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा एक एवं दो स्कूल पढ़ेंगे। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया गया है। उनके लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और 5 वर्ष में उनका पहला चरण समाप्त हो जाएगा।

3-प्रीप्रेटरी स्टेज (Prepatri Stage)

प्रीप्रेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया गया है। यह चरण 3 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। इस स्टेज के बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई पर जोर दिया गया है।

3-मिडिल स्टेज (Middle Stage)

मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया गया है। यह चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

4-सेकेंडरी स्टेज (Secondary Stage)

सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया गया है। यह चरण 4 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय का चयन करने की आजादी होगी।

नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु/विशेषताएं

- NEP 2020 के अंतर्गत पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही अध्ययन करवाया जाएगा।
- भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के विकल्प भी मौजूद रहेंगे।
- कक्षा 10 बोर्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब छात्र को सिर्फ 12वीं परीक्षा देनी होगी।
- ग्रेजुएशन की डिग्री 3 और 4 वर्ष की होगी।
- एक वर्ष पढ़ाई करने के बाद यदि छात्र पढ़ाई छोड़ता है और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई जारी रखने का मन बनाता है तो वह अपनी पढ़ाई वहीं से प्रारंभ कर सकता है, जहां से उसने अपने पढ़ाई को छोड़ा था।
- छात्र को कॉलेज के पहले वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाएगी।
- 3 वर्ष की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। जबकि हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 वर्ष की डिग्री लेनी होगी।
- 4 वर्ष की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट 1 वर्ष में स्नातकोत्तर कर पाएंगे।
- डचेपस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। स्नातकोत्तर के छात्र सीधे पीएचडी कर पाएंगे।
- यदि कोई छात्र अपने कोर्स के बीच में से किसी दूसरे कोर्स में शामिल होना चाहता है, तो वह सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर अपना कोर्स बदल सकता है।
- स्कूली बच्चों को खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल-आर्ट, बागवानी समेत अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा (<https://kisansuchna.com>)।

महिला सशक्तिकरण में राष्ट्रीय नीति 2020 की भूमिका

हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं और भारतीयता का सुंदर संगम है। इस शिक्षा नीति के कई क्षेत्रों में महिला शिक्षा के विशेष प्रावधान महिला सशक्तिकरण में अपनी विशेष भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र-छात्राओं को सुविधानुसार एवं समय की उपलब्धतानुसार शिक्षा प्राप्त करने के विशेष प्रावधान हैं। इससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रावधान के अन्तर्गत समय अभाव अथवा पढ़ाई बीच में छूट जाने पर भी इसे सम्पूर्णता प्रदान करने का प्रावधान महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् स्नातक करते-करते वयस्क होने की अवस्था में कई कन्याओं का विवाह कर दिया जाता है। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना गया है जो एक लम्बे समय तक चलने वाला समारोह होता है। ऐसी स्थिति में कन्याओं का अध्ययन कई अवसरों पर बीच में छूट जाता है अर्थात् कई कन्याओं को परिस्थितिवश कॉलेज शिक्षा बीच में ही छोड़नी होती है। जहाँ पूर्व शिक्षा नीति अनुसार स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पूर्ण नहीं करने की स्थिति में किसी प्रकार का डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त नहीं होती थी वहीं अब इस प्रकार के छात्रों अथवा महिलाओं के लिये सुनहरा अवसर यह होता है कि यदि महिला कॉलेज में पहले वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करती है तो उसे सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा व तीसरे और चौथे वर्ष में डिग्री दी जाती है। वैसे तो यह नीति सभी के लिए उपयोगी है पर यह छात्राओं के लिए विशेष उपयोगी है। नई शिक्षा नीति में लिंग-समावेशी कोष की स्थापना एक ऐतिहासिक पहल है। इस शिक्षा नीति अनुसार छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुंच प्रदान की जाएगी। जहां विद्यालय निवास स्थान से अधिक दूरी, ग्रामीण अंचलो, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों में स्थिति है वहां बालिका छात्रावासों की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। (<https://failwise.co>)

लिंग – समावेशी कोष राज्य के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे उनको महिलाओं के लिए योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी। जैसे महिलाओं के लिए परिसर में पृथक शौचालय स्थापित करना, स्वच्छता संबंधित अन्य सुविधाएँ प्रदान करना, स्कूल आने जाने हेतु मुफ्त साईकिल अथवा स्कूटी उपलब्ध करवाना, छात्रा द्वारा शुल्क जमा करवाने में असमर्थता की स्थिति में अभिभावकों को सशर्त नगद हस्तांतरण करना ताकि निर्धनता के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना ना पड़े।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूह जिसमें आधी संख्या महिलाओं की है इसलिए एसईडीजी वर्ग के लिए जो भी योजनाएं और नीतियां इस शिक्षा नीति में प्रस्तावित की गई है उनमें विशेष रूप से इन समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिससे महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। नीति में लचीलेपन से महिलाओं में शिक्षा के प्रति जिज्ञासा एवं रुझान बढ़ेगा। जिससे समाज में अधिक संख्या में महिलाएँ शिक्षित होंगी। शिक्षित महिला अपने कर्तव्यों से साथ अधिकारों प्रति जागरूक होकर एक सशक्त महिला बनेगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों को देखते हुए सहज ही कहा जा सकता है कि यह शिक्षा नीति महिलाओं के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगी। छात्रा सुरक्षा एवं अधिकाधिक छात्रवृत्तियाँ महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने को प्रेरित करेगी। लिंग समावेशी फंड, परिसर में पृथक शौचालय, पृथक महिला छात्रावास, अत्यधिक सुरक्षित विद्यालय/महाविद्यालय, मुक्त साईकिल/स्कूटी आदि महिलाओं की शिक्षा क्षेत्र में संख्या में इजाफा करेगी। कहा जा सकता है महिला शिक्षा क्षेत्र में इस नीति में सजगता बरती गई है।

सुझाव

- बालिकाओं के प्रति हिंसा और अपराध को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि विद्यालयों में बालिकाओं का पंजीयन बढ़े।
- स्त्रियों के प्रति सामाजिक मापदंडों का पुनः मुल्यांकन किया जाकर उन्हें भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाए ताकि वे स्वतंत्र निर्णय ले सकें।
- घरेलू कार्यों की प्राथमिकता की सामाजिक सोच को बदलकर महिलाओं को शिक्षा मन्दिर तक पहुंचाने की प्रभावी योजनाएं क्रियांवित की जाए।
- शिक्षा के सभी क्षेत्रों में लिंग-संतुलन को बढ़ावा दिया जाए।
- सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं की शिक्षा पर तुलनात्मक अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाए।
- सभी शिक्षण संस्थानों में महिला सुरक्षा, भेदभाव अथवा उत्पीड़न नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र जय शंकर ; 2006 "प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास", बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, दशम संस्करण।
2. यादव सांवर सिंह ; 2021 "सावित्रीबाई फुले" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
3. जे. कृष्णमूर्ति ; 2020 "शिक्षा क्या है" (विनय कुमार वैद्य द्वारा अनुवादित) राजपाल एंड संस, दिल्ली।
4. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www-education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_O-pdf, पृष्ठ सं.03)
5. डॉ. अग्रवाल प्रमोद कुमार ; 2021 "भारत का संविधान" प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. डॉ सिंह अविनाश कुमार ; 2021, नए भारत की नीव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. <https://kisansuchna.com>
8. <https://failwise.co>

